



Neutral Citation No. - 2026:AHC:165395

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7737/2026

प्रत्युष कुमार

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अनिल कुमार, मुकेश जोशी

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : अजय कुमार श्रीवास्तव, जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को सुना।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 16 वर्ष 2025, धारा 320, 332(ग), 335, 336(3), 338, 340(2), 61(2) बी.एन.एस., 2023, थाना-नौबस्ता, जनपद कानपुर नगर में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक प्रश्नगत संपत्ति का सद्भावी क्रेता है। उसने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। वह आगे तर्क देते हैं कि प्रश्नगत संपत्ति सह-अभियुक्त बृज बिहारी से क्रय की गई थी। विक्रय विलेख के सीमांत साक्षी साक्षम सोनकर को इस न्यायालय द्वारा NABAIL संख्या 6438 वर्ष 2026 में दिनांक 17.07.2026 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक ने सूचनाकर्ता के विरुद्ध मूल वाद, अर्थात् O.S. संख्या 1692 वर्ष 2024 भी संस्थित किया है, जिसमें संपत्ति के संबंध में यथास्थिति के रूप में अंतरिम निषेधाज्ञा उसके पक्ष में प्रभावी है। यह भी तर्क दिया गया है कि सूचनाकर्ता ने स्वयं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए O.S. संख्या 1277 वर्ष 2025 का सिविल वाद संस्थित किया है, जो भी विचाराधीन है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदक ने Criminal Misc. Writ Petition No. 1508 of 2025 के माध्यम से रिट याचिका दाखिल की थी, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 24.01.2025 के आदेश द्वारा पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक आवेदक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की कृपा की थी। वह आगे तर्क देते हैं कि तत्पश्चात् आवेदक ने धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत Application No. 24282 of 2025 के माध्यम से कार्यवाही तथा आरोप-पत्र को चुनौती दी, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 17.09.2025 के आदेश द्वारा आवेदक के विरुद्ध कोई बलपूर्वक कार्रवाई न किए जाने के रूप में अंतरिम संरक्षण प्रदान करने की कृपा की थी। तथापि, इसे अंततः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

4- उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक ने तत्पश्चात् Special Leave to Appeal (Criminal) No. 3256 of 2026 प्रस्तुत की, जिसका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंततः इस निर्देश के साथ निस्तारण किया गया कि आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत करे और यदि आवेदक द्वारा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो विचारण न्यायालय आरोप-पत्र के कागजात का अवलोकन करे तथा विधि के अनुसार उसका निर्णय करे। वह आगे तर्क देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उन्मोचन आवेदन का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना किया जाएगा।

5- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् आवेदक ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है, क्योंकि उसे आशंका है कि उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि आवेदक के विरुद्ध लगाए गए अपराधों में से एक धारा 338 बी.एन.एस. है, जिसमें निर्धारित दंडों में से एक आजीवन कारावास है। आवेदक का पांच प्रकरणों का आपराधिक इतिहास है। तथापि, एक प्रकरण में उसे दोषमुक्त कर दिया गया है, अन्य प्रकरणों में वह जमानत पर है और एक प्रकरण में पुलिस रिपोर्ट दाखिल किए जाने तक इस न्यायालय द्वारा आपराधिक रिट में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है। वह पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं है।

6- सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है तथा तर्क दिया है कि आवेदक स्वयं को अधिवक्ता बताता है। उसके विरुद्ध पांच आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हैं। कूटरचित दस्तावेज तैयार करके सूचनाकर्ता की संपत्ति की एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



फर्जी विक्रय विलेख का प्रयोग सिविल न्यायालय से अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि उक्त निषेधाज्ञा भी केवल यथास्थिति की है। वह आगे तर्क देते हैं कि सिविल न्यायालय द्वारा मात्र अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना आवेदक के पक्ष में स्वत्व की किसी घोषणा के रूप में नहीं माना जाएगा। वह आगे तर्क देते हैं कि विवेचना में यह पाया गया है कि आवेदक तथा सह-अभियुक्त बृज बिहारी ने कूटरचना की है। अब आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष भी स्पष्ट रूप से आवेदक के विरुद्ध अपराध को दर्शाते हैं। वह आगे तर्क देते हैं कि आवेदक, जिसका लंबा आपराधिक इतिहास है, को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें अपराध को दोहराने की प्रवृत्ति हो सकती है।

7- विद्वान ए.जी.ए. ने सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों को अपनाया है, तथापि, उन्होंने आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त के स्पष्टीकरण का खंडन नहीं किया है।

8- मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

9- सह-अभियुक्त साक्षम सोनकर को इस न्यायालय द्वारा प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। यथास्थिति के रूप में अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदक के पक्ष में प्रभावी है। सूचनाकर्ता द्वारा दाखिल सिविल वाद के संबंध में विद्वान अधिवक्ता से स्पष्ट प्रश्न किए जाने पर, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि विक्रय विलेख के निरस्तीकरण के लिए कोई वाद दाखिल नहीं किया गया है। तथापि, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दाखिल किया गया है। दोनों पक्षकार एक ही संपत्ति पर अपने-अपने स्वत्व का दावा करते हैं। संबंधित न्यायालयों के समक्ष सिविल वाद विचाराधीन हैं। आवेदक का, यद्यपि, आपराधिक इतिहास है, तथापि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवेचना के दौरान आवेदक को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था और अब उसे किसी अभिरक्षात्मक पूछताछ के लिए आवश्यकता नहीं है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने पर विचार करना उचित समझता हूँ।

10- इस न्यायालय ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदक के उन्मोचन आवेदन पर विचार किए जाने के संबंध में निर्देश पारित करते समय स्पष्ट रूप से कहा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि विचारण न्यायालय आवेदक के धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन को खारिज करते समय उच्च न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

11- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12- आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

13- आवेदक- **प्रत्युष कुमार** आज से तीन सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के जमानतदार प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

i- आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा उसे छूट प्रदान न की गई हो;

ii- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत किया जा सके;

iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा;

14- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

15- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के उद्देश्य से हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल)

7 अगस्त, 2026

कुशल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।